पत्रांकः3ए-1-मुक.-143/2017...../वि.

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक,

राहुल सिंह
सचिव (व्यय)

सेवा में,

प्रधान सचिव/सचिव
जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/लोक स्वा.अभियंत्रण विभाग/
भवन निर्माण एवं आवास विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांकः

विषयः **सी.डब्लू.जे.सी. सं.-12124/2011 में पारित न्यायादेश से उदभूत एल.पी.ए. सं.-206/2014 (राज्य सरकार एवं अन्य बनाम् रामजनम झा एवं अन्य) में दिनांकः 24.08.2016 एवं एस.एल.पी. सं.-2982/2017 में दिनांकः 10.02.2017 को पारित न्यायादेश के आलोक में अनुकम्पा एवं अन्य स्त्रोत से कार्य विभागों में नियुक्त कनीय लेखा लिपिक के पद पर नियुक्त कर्मी को वित्त विभागीय संकल्प सं.-3111, दिनांकः 25.03.2015 एवं संकल्प सं.-163 दिनांकः 08.01.2016 का लाभ अनुमान्य होने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि चतुर्थ, पंचम एवं षष्टम वेतन पुनरीक्षण समितियों द्वारा कार्य विभागों के लेखा लिपिक संवर्ग अंतर्गत कनीय/वरीय लेखा लिपिक का अलग अलग वेतनमान् अनुशंसित एवं तद्नुसार दिनांकः 01.01.981, 01.01.1986 एवं दिनांकः 01.01.1996 से सरकार द्वारा वेतनमान् स्वीकृत किया गया। इस परिपेक्ष्य में वित्त विभाग का यह दृष्टिकोण रहा कि कार्य विभागों के लेखा लिपिक संवर्ग के कनीय एवं वरीय लेखा लिपिकों का वेतनमान् दिनांकः 01.05.1980 के प्रभाव से एकीकृत नहीं हुआ। समय समय पर एकीकरण नहीं होने के संबंध में वित्त विभाग द्वारा दिशा निदेश जारी किया जाता रहा। इस परिपेक्ष्य में अंतिम दिशा निर्देश वित्त विभागीय पत्रांकः 8320 दिनांकः 03.08.2010 द्वारा निर्गत किया गया।

2. वित्त विभाग के उपर्युक्त दृष्टिकोण को विभिन्न रिट याचिकाओं के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी। श्री बिन्दा राय वगैरह द्वारा सी.डब्लू.जे.सी. सं.-8828/2006, शिवचरण पासवान वगैरह द्वारा सी.डब्लू.जे.सी. सं.-1102/2009 तथा श्री रामजनम झा एवं अन्य द्वारा भी सी.डब्लू.जे.सी. सं.-12124/2011 दायर किया गया।

3. सी.डब्लू.जे.सी सं.-8828/2006 एवं सी.डब्लू.जे.सी. सं.-1102/2009 में क्रमश दिनांकः 01.12.2010 तथा दिनांकः 08.08.2011 को न्यायादेश पारित हुआ, जिसके

आलोक में वित्त विभागीय संकल्प सं.-3111 दिनांकः 25.03.2015 निर्गत किया गया। इस संकल्प के द्वारा दिनांकः 01.05.1980 के प्रभाव से कार्य विभागों के लेखा लिपिक संवर्ग अंतर्गत कनीय एवं वरीय लेखा लिपिक के पदों का एकीकरण तथा दिनांकः 28.09.1999 के प्रभाव से कनीय/वरीय लेखा लिपिक के पदों का एकीकरण समाप्त करते हुए पुनः पृथक्कीकरण प्रभावी होने का निर्णय संसूचित किया गया।

4. सी.डब्लू.जे.सी. सं.-10585/2015, 10586/2015 एवं 10618/2015 में संयुक्त रूप से पारित न्यायादेश दिनांकः 31.07.2015 के आलोक में रिट आवेदकों के अभ्यावेदन के संदर्भ में सुनवाई के उपरांत सकारण आदेश प्रधान सचिव, वित्त विभाग द्वारा दिनांकः 11.07.2016 को पारित किया गया, जिसमें अवलोकन किया गया कि वित्त विभागीय संकल्प सं.-3111 दिनांकः 25.03.2015 का लाभ विधिवत परीक्षा से चयनित लेखा लिपिकों को हीं अनुमान्य होगा न कि अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त लेखा लिपिकों को।

5. सी.डब्लू.जे.सी. सं.-12124/2011 के वादीगण श्री रामजनम झा वगैरह की नियुक्ति अनुकम्पा / उत्क्रमण के द्वारा कनीय लेखा लिपिक के पद पर की गयी थी तथा इनलोगों को वरीय लेखा लिपिक का वेतनमान् विभाग द्वारा दे दिया गया था। बाद में वित्त विभागीय ज्ञापांकः 8320 दिनांकः 03.08.2010 के आलोक में वसूली का निर्णय लिया गया था। इस सी.डब्लू.जे.सी. में न्याय निर्णय दिनांकः 06.08.2013 को हुआ, जिसके विरूद्ध एल.पी.ए. सं.-206/2014 दायर किया गया। एल.पी.ए. सं.-206/2014 में दिनांकः 24.08.2016 को अंतिम निर्णय पारित हुआ, जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत है।

"Learned counsel for the appellant argued that the said benefit is not available to the candidates, who were appointed on compassionate grounds.

We find that once the distinction between the Juniour and Senior Accounts Clerk have been granted pay scale as that of Senior Accounts Clerk, therefore, all accounts clerks, whether appointed on compassionate grounds are otherwise are entitled to same pay scale i.e., pay scale, meant for the Senour Accounts Clerk.

In view of the said fact, we don't find any merit in the present Letters Patent Appeal. Then the same stands dismissed."

6. एल.पी.ए. में पारित न्यायादेश दिनांकः 24.08.2016 के विरूद्ध एस.एल.पी. सं. -C.C.No-(S)2982/2017 दायर किया गया, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश को Affirm करते हुए दिनांकः 10.02.2017 को खारिज कर दिया गया।

7. एल.पी.ए. सं.-206/2014 में दिनांकः 24.08.2016 को पारित न्यायादेश द्वारा यह स्थापित हो गया कि दिनांकः 28.09.1999 के पूर्व अनुकम्पा एवं अन्य किसी माध्यमों से कनीय लेखा लिपिक के पद पर नियुक्त कर्मियों को लेखा लिपिक संवर्ग में हीं माना जायेगा। साथ हीं चूँकि उनकी नियुक्ति एकीकरण अवधि में हुयी है इसलिए उन्हें वरीय लेखा लिपिक का वेतनमान् अनुमान्य होगा।

8. दिनांकः 20.12.2000 के बाद अनुकम्पात्मक नियुक्ति के संदर्भ में सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांकः 3385 दिनांकः 20.06.2001 तथा वित्त विभागीय पत्रांकः 531 दिनांकः 27.01.2003 द्वारा निर्गत निदेश प्रभावी है। कार्य विभागों में दिनांकः 20.12.2000 के बाद भी कनीय लेखा लिपिक के पद पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्तियाँ की गयी थी। ऐसे कर्मियों द्वारा वित्त विभागीय संकल्प सं0-3111 दिनांकः 25.03.2015 का लाभ हेतु सी.डब्लू.जे.सी. सं.-9921/2017 (विनीत कुमार एवं अन्य) एवं अन्य समरूप वाद दायर किये गये, जिसमें संयुक्त रूप से दिनांकः 21.08.2017 को आदेश पारित किया गया। न्यायादेश दिनांकः 21.08.2017 के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा कतिपय एल.पी.ए. दायर किया गया है। उनमें से एक एल.पी.ए. सं.-163/2018 (राज्य सरकार एवं अन्य बनाम् राज कुमार एवं अन्य) में पारित अंतरिम न्यायादेश दिनांकः 04.04.2018 द्वारा दिनांकः 21.08.2017 के आदेश के कार्यान्वयन को Abeyanace में रखा गया है।

9. इस संवर्ग के कर्मियों को ए.सी.पी. के लाभ के प्रसंग में निर्गत वित्त विभागीय संकल्प सं.-163 दिनांकः 08.01.2016 के संबंध में महालेखाकार, बिहार, पटना द्वारा कुछेक बिन्दुओं पर मार्गदर्शन की अपेक्षा की गयी, जिसके क्रम में वित्त विभागीय पत्रांकः 6589 दिनांकः 19.08.2016 एवं पत्रांकः 8083 दिनांकः 07.10.2016 निर्गत किया गया। विभागीय पत्रांकः 8083 दिनांकः 07.10.2016 द्वारा महालेखाकार को सूचित किया गया कि सीधे नियुक्त लेखा लिपिकों के संदर्भ में हीं वित्त विभागीय संकल्प सं.-163 दिनांकः 08.01.2016 प्रभावी है, परंतु इस संकल्प का लाभ अनुकम्पा एवं अन्य माध्यमों से नियुक्त लेखा लिपिकों को अनुमान्य नहीं होगा।

10. वित्त विभागीय पत्र सं.-8083 दिनांकः 07.10.2016 को माननीय न्यायालय में विभिन्न रिटों के माध्यम से चुनौती दी गयी। माननीय न्यायालय द्वारा लेखा लिपिक संवर्ग के स्नातक योग्यताधारी एवं गैर स्नातक लेखा लिपिकों, चाहें उनकी नियुक्ति अनुकम्पा पर अथवा अन्य माध्यमों से हुयी हो, को वित्त विभागीय संकल्प सं.-163 दिनांकः 08.01.2016 का लाभ अनुमान्य करने का आदेश पारित किया गया है। बिहार लेखा सेवा नियमावली, 2000 में ऐसे लेखा लिपिकों को बिहार लेखा सेवा में प्रोन्नति हेतु स्नातक शैक्षणिक योग्यता विहित है। ए.सी.पी. नियमावली, 2003 में यह प्रावधान है कि वित्तीय उन्नयन के लिए वहीं अध्यपेक्षाएँ होंगी, जो प्रोन्नति के लिए विहित की गयी हों। इन तथ्यों को मुख्य रूप से दृष्टिपथ में रखते हुए गैर स्नातक योग्यताधारी लेखा लिपिकों के मामले में माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा एल.पी.ए. दायर किया गया है, जो सम्प्रति विचाराधीन है।

11. उपर्युक्त कंडिका 7, 8 एवं 10 में वर्णित निष्कर्ष के आलोक में संक्षिप्ततः निम्नलिखित स्थिति उत्पन्न होती है :-

(i) दिनांकः 27.09.1999 तक अनुकम्पा या अन्य माध्यमों से कार्य विभागों में कनीय लेखा लिपिक के पद पर नियुक्त कर्मी को भी वरीय लेखा लिपिक माना जायेगा तथा उन्हें वित्त विभागीय संकल्प सं.-3111 दिनांकः 25.03.2015 का लाभ अनुमान्य होगा।

(ii) दिनांकः 28.09.1999 से 20.12.2000 के बीच सीधी नियुक्ति/अनुकम्पा अथवा अन्य माध्यमों से कनीय लेखा लिपिक के पद पर नियुक्त कर्मी कनीय लेखा लिपिक माने जायेगें तथा उन्हें 4000-6000/- (अपुनरीक्षित वेतनमान) तथा दिनांकः 01.01.2006 से पी.बी.-1 ग्रेड पे 2400/- अनुमान्य होगा।

(iii) कार्य विभागों में सीधी नियुक्ति / अनुकम्पा एवं अन्य माध्यमों से नियुक्त लेखा लिपिक, जो स्नातक योग्यताधारी हैं, को वित्त विभागीय संकल्प सं.-163 दिनांकः 08.01.2016 का लाभ अनुमान्य होगा, बशर्ते कि ए.सी.पी. नियमावली, 2003 में विहित अध्यपेक्षाओं को पूरा करते हों।

12. कृपया तदालोक में कार्रवाई की जाए एवं वित्त विभागीय पत्रांकः 8320 दिनांकः 01.08.2010 एवं 8083 दिनांकः 07.10.2016 उपर्युक्त के हद तक संशोधित समझा जाए।

13. उपर्युक्त में विधि विभाग का परामर्श प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह0/-

(राहुल सिंह)

सचिव (व्यय)

ज्ञापांकः 3ए-1-मुक.-143/2017...../वि. दिनांकः

प्रतिलिपिः **महालेखाकार (ले० एवं हक०)**, महालेखाकार कार्यालय, वीरचंद पटेल पथ, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(राहुल सिंह)

सचिव (व्यय)

ज्ञापांकः 3ए-1-मुक.-143/2017.....4936...../वि. दिनांकः 02-07-18

प्रतिलिपिः **सभी जिला लेखा पदाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी** को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राहुल सिंह)

सचिव (व्यय)